

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-123/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० आदित्य रौशन, सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना का दिनांक-18.01.2023 से 10.03.2026 तक की अवधि को अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-18.01.2023 से 13.01.2026 तक	- (कुल-1092 दिन) अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii	दिनांक-14.01.2026 को	- (कुल-01 दिन) असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
iii.	दिनांक-15.01.2026 से 09.03.2026 तक	- (कुल-54) पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iv.	दिनांक-10.03.2026 को	- पदग्रहण काल के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-,
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-123/2026- 2120(2) पटना, दिनांक 21/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० आदित्य रौशन, सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. P. K. 01/09/26
सरकार के उप सचिव
R